न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/62/2021	08–10–2021	18–05–2022

1–रामनिवास,
2–रामशरण,
3–महेन्द्र पुत्रान जयनारायण
4–कुन्दना देवी स्त्री रामसिंह
5–सत्यवीर पुत्र रामसिंह
6–सन्तोष,
7–सुनिता,
8–शर्मिला,
9–मीना पुत्रीयान रामसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम डाबरिया तहसील बानसूर जिला अलवर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–तहसीलदार बानसूर जिला अलवर (राज0)

–रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बानसूर का निर्णय दिनांक 02.03.2017 नामान्तकरण संख्या 168 ग्राम डाबरिया तहसील बानसूर जिला अलवर

उपस्थितः–
01. श्री ब्रह्मप्रकाश यादव

–वकील अपीलान्ट्स

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट्स ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 02.03.2017 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 168 वाके ग्राम डाबरिया तहसील बानसूर जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलांट्स की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार बानसूर द्वारा पारित निर्णय दिनाक 02.03.2017 नामान्तकरण संख्या 168 ग्राम डाबरिया तहसील बानसूर की पूर्व में कोई जानकारी नही थी, अपीलान्ट की गैरमोजुदगी व गैरहाजरी में पारित किया गया है। जानकारी के अभाव में अपील समयावधि में अपील प्रस्तुत नही की जा सकी। पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 26.06.2017 को तब हुई जब पटवारी हल्का ने मौखिक रूप से बताया जानकारी होने पर दिनाक 27.06.2017 को नकल हेतु आवेदन किया जिस पर नकल दिनाक 27.06.2017 को प्राप्त हुयी। कानूनी सलाह लेकर बिना देरी के दिनाक 26.06.2017 पेश की गयी। पारित निर्णय दिनाक 02.03.2017 की सर्वप्रथम जानकारी की दिनाक से 26.06.2017 तक का जो समय व्यतीत हुआ है, जानकारी के अभाव में हुआ है, जो की नेकनियति व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा मियाद मुजरा दिए जाने योग्य है। मियाद के बिन्दू पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

नरमी रूख अपनाया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र जेरदफा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 पेश किया है। प्रकरण में वर्णित आराजी के संबंध में अपीलान्टस के विरूध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एवं 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेन्ट भूमिधारी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बानसूर ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बानसूर के समक्ष पेश किया गया जिसका निस्तारण दिनाक 21.12.2016 को विधिक प्रकिया एवं प्रावधानो के विपरीत पारित किया गया है। पारित निर्णय की अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर में पेश की गयी पेश की गयी अपील का निर्णय दिनाक 18.03.2019 किया गया जिसके अनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बानसूर द्वारा पारित निर्णय 21.12.2016 अपीलान्टस की खातेदारी भूमि ग्राम डाबरिया की आराजी खसरा न0 1216 रकबा 1.25 है0 की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर को पक्षकारो को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानो के परिप्रेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। पारित निर्णय की पालना में उक्त क्रम में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर में कार्यवाही जेरकार है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर तहसीलदार बानसूर का निर्णय दिनांक 02.03.2017 इंतकाल संख्या 168 वाके ग्राम डाबरिया तहसील बानसूर जिला अलवर को निरस्त फरमावें।

विद्वान वकील अपीलांट्स की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र जेरदफा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.03.2017 के विरूद्ध दिनांक 10.07.2017 को पेश की है। पारित निर्णय दिनाक 02.03.2017 की सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक से 26.06.2017 तक की अवधि को कन्डोन किये जाने हेतु निवेदन किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य तर्क यह है, कि तहसीलदार बानसूर द्वारा पारित निर्णय दिनाक 02.03.2017 नामान्तकरण संख्या 168 वाके ग्राम डाबरिया तहसील बानसूर अपीलान्ट्स की गैरमोजुदगी व गैरजानकारी में पारित किया गया है, को निरस्त किया जावे। तहसीलदार बानसूर द्वारा नामान्तकरण संख्या 168 में वर्णित आराजी खसरा न0 1216 रकबा 1.25 है0 किस्म चाही तृतीय में से 0.03 किस्म गै0 मु0 रास्ता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा जारी डिक्री की पालना में दर्ज कर स्वीकार किया गया है। चूंकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा पारित निर्णय दिनाक 21.12.2016 के विरूद्व माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर में अपील पेश की गयी। अपील का निर्णय दिनाक 18.03.2019 को किया जाकर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बानसूर द्वारा पारित निर्णय 21.12.2016 अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि ग्राम डाबरिया की आराजी खसरा न0 1216 रकबा 1.25 है0 की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर को पक्षकारो को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानो के परिप्रेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जा चुका है। पारित निर्णय की पालना में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर में कार्यवाही जेरकार है। माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.03.2019 के आदेशानुसार अपीलाधीन इन्तकाल का कोई औचित्य नहीं रहता है। अपील अपीलान्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.03.2019 के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 02.03.2017 नामान्तकरण संख्या 168 वाके ग्राम डाबरिया तहसील बानसूर जिला अलवर को निरस्त किया जाता है निर्णय की प्रति तहसीलदार बानसूर को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.05.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)